भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4277
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

यौन हमलों के पीड़ितों के लिए मुआवजा

4277. श्री नलीन कुमार कटीलः
श्री डी॰के॰ सुरेशः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नाबालिग पीड़ितों विशेषकर बलात्कार, यौन हमले और तेजाब हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने हेतु कोई प्रावधान तैयार किए हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीड़ितों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र बनाया है कि पीड़ितों को प्रावधानों के अनुसार मुआवजा मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को पीड़ितों से क्षतिपूर्ति के बारे में कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के अनुसार, केंद्र सरकार के समन्वय में प्रत्येक राज्य सरकार पीड़ित या उसके आश्रितों जिन्हें अपराध के फलस्वरूप क्षति हुई है या चोट आई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ निधियां प्रदान करने के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम तैयार करेंगे । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम अधिसूचित की है । इसके अलावा, यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुन:एकीकरण के लिए बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है ।

केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) के अंतर्गत राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम की सहायता के लिए निर्भया निधि से 2016-17 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता एकबारगी अनुदान के रूप में जारी की गई है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने यौन हमले की महिला पीड़ितों के लिए मौजूदा पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम में शामिल करने के लिए "यौन हमला/अन्य अपराधों के महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम 2018' नामक एक उप-स्कीम तैयार की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्कीम का व्यापक स्तर पर प्रचार करने तथा सही मायने में स्कीम को लागू करने का निर्देश दिया । यह कार्यान्वयन तथा व्यापक स्तर पर प्रचार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया ।

पीड़ितों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है ।

*****